न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 221 सन 2019
अनवान :—

1. भोलूराम पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. भगवानाराम पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. किरशन पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. छोटूराम पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मांगीलाल पुत्र ~~सालगराम~~ शिशपाल जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सालगाराम पुत्र मोहरूराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुडडी पुत्री सालगाराम पत्नि कृष्ण कुमार जाति नाइ साकिन सुरेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
3. संन्तोष पुत्री सालगाराम पत्नि रोहताश जाति नाइ साकिन जमाल तहसील व जिला सिरसा
4. कौशल्या पुत्री सालगाराम पत्नि बलवन्त जाति नाई साकिन जमाल तहसील व जिला सिरसा
5. निमादेवी पत्नी शिशपाल जाति नाई साकिन पिचकराई साकिन नोह तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री शिशपाल पत्नि ओमप्रकाश जाति नाइ साकिन दिवानखेडा तहसील अबोहर जिला फिराजपुर
7. रोशनी पुत्री शिशपाल पत्नी अमरसिह जाति नाई साकिन पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
8. शारदा पुत्री शिशपाल पत्नि मेहरचन्द जाति नाई साकिन राईया टुण्डा तहसील तारानगर जिला चुरू
9. लिछमा पुत्री शिशपाल पत्नी सत्यनारायण जाति नाई साकिन रोईया टूण्डा तहसील तारानगर जिला चुरू ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
11. एस.बी.बी.जे शाखा भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :—27/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 543/485 के प0न0 301/406(132) किला न0 16/0.2150 ,17 ता 19/0.7590 ,22 ता 24/0.7590 ,25/0.2150 ,प0न0 301/407(145) किला न0 2 ता 4/0.759, 5/0.2150 , प0न0 0 मु0न0 400/63 किला न0 1/0.0380 , गै. मु.रास्ता कुल 2.9600हैक , एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 154/145 के प0न0 297/397(64) के किला न0 10 ता 14/1.2650 , 15/0.2277 ,16/0.2277 ,17 ता 24/2.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व
नोहर

0240 ,25/0.2277 , प0न0 298/398(70) किला न0 1/2 की 0.1897 ,2/2 की 0.18975 ,9/1 की 0.00945 ,10/1 की 0.00945 प0न0 0 मु0न0 96/32 किला न0 0/1 की 0. 0759हैक गै.मु.रास्ता कुल 4.4464हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मोहरूराम पुत्र मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मोहरूराम पुत्र मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मोहरूराम पुत्र मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 वादी के भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र मृतक शिशपाल के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 एवं 6 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों /भतीजों वादीगण 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मोहरूराम पुत्र मामराज के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं स्वय प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र शिशपाल के वारिस ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/भतिजों वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 543/485 के प0न0 301/406(132) किला न0 16/0.2150 ,17 ता 19/0.7590 ,22 ता 24/0.7590 ,25/0.2150 ,प0न0 301/407(145) किला न0 2 ता 4/0.759, 5/0.2150 , प0न0 0 मु0न0 400/63 किला न0 1/0.0380 , गै.मु.रास्ता कुल 2.9600हैक , एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 154/145 के प0न0 297/397(64) के किला न0 10 ता 14/1.2650 , 15/0.2277 ,16/0. 2277 ,17 ता 24/2.0240 ,25/0.2277 , प0न0 298/398(70) किला न0 1/2 की 0.1897

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

,2/2 की 0.18975 ,9/1 की 0.00945 ,10/1 की 0.00945 प0न0 0 मु0न0 96/32 किला न0 0/1 की 0.0759हैक गै.मु.रास्ता कुल 4.4464हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मोहरूराम पुत्र मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मोहरूराम पुत्र मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मोहरूराम पुत्र मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 वादी के भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र मृतक शिशपाल के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 एवं 6 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों /भतीजों वादीगण 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राजस्वहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 543/485 के प0न0 301/406(132) किला न0 16/0.2150 ,17 ता 19/0.7590 ,22 ता 24/0.7590 ,25/0.2150 ,प0न0 301/407(145) किला न0 2 ता 4/0.759, 5/0.2150 , प0न0 0 मु0न0 400/63 किला न0 1/0.0380 , गै. मु.रास्ता कुल 2.9600हैक , एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 154/145 के प0न0 297/397(64) के किला न0 10 ता 14/1.2650 , 15/0.2277 ,16/0.2277 ,17 ता 24/2. 0240 ,25/0.2277 , प0न0 298/398(70) किला न0 1/2 की 0.1897 ,2/2 की 0.18975 ,9/1 की 0.00945 ,10/1 की 0.00945 प0न0 0 मु0न0 96/32 किला न0 0/1 की 0. 0759हैक गै.मु.रास्ता कुल 4.4464हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एव पुत्र शिशपाल है प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र शिशपाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है इसप्रकार वाद भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 कानुनी हकदार है।

जमाबन्दी भु.प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि मोहरूराम वल्द मामराज के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मोहरूराम वल्द मामराज के नाम से दर्ज है वादी के दादा मोहरूराम वल्द मामराज के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जयपुर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 4 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 वादी के भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र शिशपाल के वारिस एवं स्वय प्रतिवादी संख्या 1 जो 90 साल का वृद्व हो चुका है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता ,9 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद/कथनों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 543/485 के प0न0 301/406(132) किला न0 16/0.2150 ,17 ता 19/0.7590 ,22 ता 24/0.7590 ,25/0.2150 ,प0न0 301/407(145) किला न0 2 ता 4/0.759, 5/0.2150 , प0न0 0 मु0न0 400/63 किला न0*/1/0.0380 , गै.मु.रास्ता कुल 2.9600हैक , एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 154/145 के प0न0 297/397(64) के किला न0 10 ता 14/1.2650 , 15/0.2277 ,16/0.2277 ,17 ता 24/2.0240 ,25/0.2277 , प0न0 298/398(70) किला न0 1/2 की 0.1897 ,2/2 की 0.18975 ,9/1 की 0.00945 ,10/1 की 0.00945 प0न0 0 मु0न0 96/32 किला न0 0/1 की 0.0759हैक गै.मु.रास्ता कुल 4.4464हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/1/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भोलूराम पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर
3. भगवानाराम पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर ।
4. किरशन पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर ।
5. छोटूराम पुत्र सालगाराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
6. मांगीलाल पुत्र शिशपाल (शिशपाल) जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सालगाराम पुत्र मोहरूराम जाति नाई साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
2. गुडडी पुत्री सालगाराम पत्नि कृष्ण कुमार जाति नाइ साकिन सुरेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
3. संन्तोष पुत्री सालगाराम पत्नि रोहताश जाति नाइ साकिन जमाल तहसील व जिला सिरसा
4. कौशल्या पुत्री सालगाराम पत्नि बलवन्त जाति नाई साकिन जमाल तहसील व जिला सिरसा
5. निमादेवी पत्नी शिशपाल जाति नाई साकिन पिचकराई साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री शिशपाल पत्नि ओमप्रकाश जाति नाइ साकिन दिवानखेडा तहसील अबोहर जिला फिराजपुर
7. रोशनी पुत्री शिशपाल पत्नी अमरसिह जाति नाई साकिन पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
8. शारदा पुत्री शिशपाल पत्नि मेहरचन्द जाति नाई साकिन राईया टुण्डा तहसील तारानगर जिला चुरू
9. लिछमा पुत्री शिशपाल पत्नी सत्यनारायण जाति नाई साकिन रोईया टूण्डा तहसील तारानगर जिला चुरू ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
11. एस.बी.बी.जे शाखा भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 659 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 543/485 के प0न0 301/406(132) किला न0 16/0.2150 ,17 ता 19/0.7590 ,22 ता 24/0.7590 ,25/0.2150 ,प0न0 301/407(145) किला न0 2 ता 4/0.759, 5/0.2150 , प0न0 0 मु0न0 400/63 किला न00/1/0.0380 , गै.मु.रास्ता कुल 2.9600हैक , एवं चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 154/145 के प0न0 297/397(64) के किला न0 10 ता 14/1.2650 , 15/0.2277 ,16/0.2277 ,17 ता 24/2.0240 ,25/0.2277 , प0न0 298/398(70) किला न0 1/2 की 0.1897 ,2/2 की 0.18975 ,9/1 की 0.00945 ,10/1 की 0.00945 प0न0 0 मु0न0 96/32 किला न0 0/1 की 0.0759हैक गै.मु.रास्ता कुल 4.4464हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)